नम्बर /वर्ष 121/2011 अनवानी बनवारी बनाम महेन्द्र आदि

| तारीख हुक्म | कार्यवाह मय इनीशियल जज | नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.11.25 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 9/12/25 को पेश हो। Zahul | |
| 9.12.25 | पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी वादी संख्या 1 के देहान्त होने पर वारिसान को पक्षकार बनाये जाने पर बहस उभयपक्षो की सुनी गई विवेचन निम्नप्रकार से है<br>वकील प्रार्थी जगदीश पुत्र बनवारी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्रो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी संख्या 1 बनवारीलाल पुत्र गंगाराम का देहान्त दिनांक 03.09.2022 को हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार ही है जिनका वाद में हक निहित है इसलिये पक्षकार बनाया जावे<br>प्रार्थीगण को पूर्व में अनवानी वाद के विषय में बनवारी लाल ने कभी भी नही बताया गया था इसलिये न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का ज्ञान नही था बनवारीलाल के अधिवक्ता ने सम्पर्क करने पर वादी के देहान्त होने का ज्ञान हुआ था जिस पर बिना देरी के वादी के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही की गई है अतः देरीना को माफ किया जाकर बनवारीलाल के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर प्रदान करे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।<br>अप्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादी बनवारीलाल पुत्र गंगाराम फोत हो चुका है वाद में वादी संख्या 1 को मृतक बताकर जगदीश पुत्र बनवारीलाल ने प्रार्थना पत्र पेश कर अन्य तीन पक्षकारो को वादीगण बनाया जाने का पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है कानूनी रूप से अगर वादी के देहान्त होने पर वादी समायोजित होना है तो सभी वारिसान को प्रार्थना पत्र पेश करना होगा जबकि केवल जगदीश के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है।<br>प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जब पेश किया जाता है जब दोराने वाद वादी की मृत्यू हो जाती है परन्तु उक्त वादमें ऐसी स्थिति नही है इसी न्यायालय में पूर्व में एक वाद कृष्ण बनाम बनवारी प्रकरण संख्या 923/2021 पेश हुआ जिसमें दिनांक 13.12.2021 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 72/70 की 43.1990हैक भूमि जो बनवारी पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज थी का कृष्ण कुमार , जगदीश पुत्र बनवारी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जा चुके है बनवारी का नाम कलमजन किया गया था जिसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज हो चुकी है<br>हस्तगत वाद में न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री करने के उपरान्त तहसीलदार नोहर ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें पक्षकारो की भिन्नता होना अंकित किया गया जिस पर न्यायालय ने वादी को सुचित /निर्देशित किया गया की आवश्यक पक्षकारो का पक्षकार बनाया जावे फिर भी वाद ने 9 माह बार पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है समय पर पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वादी का वाद अबैट हो चुका है।<br>वाद भूमि बनवारी के जीवनकाल में ही पर्चा डिक्री द्वारा कृष्ण कुमार व जगदीश के नाम दर्ज हो चुकी थी जिसके लिये पक्षकारो को पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया जाना चाहिये था इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समय सीमा में प्रस्तुत नही करने एव प्रार्थना पत्र आदेश 022 नियम 3 सीपीसी की प्रावधानो के अनुरूप नही होने के कारण खारिज किया जाकर वादी का वाद अवैट होने के कारण खारिज फरमाया | |

Zahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया कृष्ण कुमार पुत्र बनवारीलाल ने पूर्व में इसी न्यायालय में एक वाद अपने हको की घोषणा करने के लिये अनवानी कृष्ण कुमार बनाम बनवारीलाल पेश किया गया था जो वाद सुनवाई दिनांक 13.12.2021 को डिक्री हो गया था जिसके अनुसार बनवारीलाल के नाम दर्ज भूमि उसके दोनो पुत्र कृष्ण कुमार व जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज हो चुकी है।

बनवारीलाल ने अपने जीवन काल मे सयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन का वाद इसी न्यायालय में पेश किया गया था जो बाद सुनवाई प्रार्थमिक डिक्री किया गया था

बनवारीलाल के नाम दर्ज भूमि दिनांक 13.12.2021 को उसके दोनो पुत्रो के नाम दर्ज हो चुकी थी अब बनवारीलाल के नाम कोई भूमि दर्ज नही रही थी जब बनवारीलाल के नाम भूमि दर्ज ही नही रही तो बनवारीलाल के द्वारा प्रस्तुत वाद खाता विभाजन चलने योग्य ही नही रहा उसी समय खारिज किया जाना चाहिये था खाता विभाजन का वाद राजस्व रिकार्ड में भूमि होने पर ही चल सकता है जब बनवारीलाल के नाम भूमि ही नही रही तो वाद चल नही सकता था उसी समय खारिज किया जाना चाहिये था।

दिनांक 24.12.2024 को तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वादी को अवगत करवाया गया की आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार समायोजित किया जावे किन्तु नौ माह तक वादी के द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई जबकि वादी को दायित्व था की न्यायालय के द्वारा सूचना देने के बाद अपने पक्षकार से सम्पर्क किया जाकर उसके जायज वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही करता जो नही की गई जो जानबुझ कर न्यायालय के आदेशो की अवहेलना की श्रेणी में आता है

न्यायालय के द्वारा वादी को सुचना करने से पूर्व एव बनवारीलाल के देहान्त होने से पूर्व की बनवारीलाल के नाम दर्ज भूमि प्रार्थी एवं उसके भाई के नाम दर्ज हो चुकी थी इसलिये प्रार्थी स्वय का दायित्व था की वह अपने पिता बनवारीलाल के स्थान पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश करता किन्तु ऐसा नही करना न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार बनवारीलाल ने अपने जीवन काल में ही अपने नाम दर्ज भूमि अपने पुत्रों के नाम जरिये डिक्री दर्ज करवाई जा चुकी थी जिनका दायित्व था की वह हस्तगत वाद में पक्षकार बनने की कार्यवाही करते एव न्यायालय के द्वारा वादी को सूचना देने के उपरान्त भी नो माह तक कोई कार्यवाही नही करने के कारण वादी का वाद स्वतः ही अवैट हो चुका था

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी न्यायालय के द्वारा सुचित करने के उपरान्त भी काफी देरीना से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी को बनवानरीलाल की भूमि अपने नाम दज होने पर स्वय समय पर हस्तगत वाद में पक्षकार बनने की कार्यवाही नही की गई है जो स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी न्यायालय की सूचना के उपरान्त भी समय पर पक्षकार नही बनाने के कारण वाद अबेट होने एवं बनवारीलाल के जीवनकाल में ही भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होने के कारण समय पर पक्षकार बनने की कार्यवाही नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादी अबैट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर